

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सत्यपाल पुत्र कन्हैया उर्फ काना जाति मीणा निवासी घासीपुरा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 395/2025


जीसीएमएस नं0 2025/662

आदेश

दिनांक 09/07/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम घासीपुरा पटवार हल्का घासीपुरा तहसील पाटन के खाता संख्या 9, 11 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "सतपाल पुत्र कन्हैया उर्फ काना" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सत्यपाल पुत्र कन्हैया उर्फ काना" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना